

न्यायालय ~~तहसीलदार~~/नायब तहसीलदार, बनेड़ा  
जिला-भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या..... 14/19 /20..... ना.क.

अनवान

पटवारी हल्का.....~~खामानिया~~.....  
तहसील-बनेड़ा, जिला-भीलवाड़ा

बनाम श्री.....~~रकबा~~.....  
जाति.....~~कायमखाना~~

पिता श्री.....~~बीसू खान~~.....  
निवासी.....~~मीसपुर~~

(प्रार्थी)

(अप्रार्थी)

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांक..... 19/19.....

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का एवं अप्रार्थी उपस्थित है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं:-

ग्राम.....~~मीसपुर~~.....पटवारी मण्डल.....~~खामानिया~~.....तहसील बनेड़ा की  
बिलानाम/चरागाह आराजी नम्बर.....~~39~~.....में से रकबा.....~~0.03~~.....बीघा पर

अप्रार्थी द्वारा फसल रबी/खरीफ सम्बन्ध.....~~2076~~.....के दौरान अतिक्रमण कर फसल जिस.....

~~निर्णय~~.....काश्त/अवैध कब्जा/.....~~निर्णय~~.....कर लेने पर पटवारी  
हल्का ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 (3) का नोटिस जारी किया जाकर तलब किया

गया। नोटिस विधिवत तामिल होकर शामिल पत्रावली किया गया है।

वक्त तारीख पेशी पर अप्रार्थी ने उपस्थित होकर रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार अपना अतिक्रमण  
होना तथा जिस.....~~निर्णय~~.....काश्त स्वीकार किया तथा नियमन किये जाने बाबत कोई  
साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किये/अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है अतः मामले में एक तरफा  
कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

चूंकि अप्रार्थी ने राजकीय बिलानाम/चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काश्त की है अतः प्रार्थी  
को अतिक्रमी करार देतेहुये मौके से बेदखल किये जाने एवं फसल जब्त सरकार की जाकर निलाम किये जाने  
का आदेश दिया जाता है तथा अतिक्रमण करने के फलस्वरूप उक्त भूमि का वार्षिक लगान.....~~0.12~~.....X  
.....~~50~~.....का गुणा.....~~67~~.....रूपये के अर्थ दण्ड ये दण्डित किया जाता है।  
आदेश खुले न्यायालय से सुनाया जाता है।

पालनार्थ पटवारी हल्का को लिखा जावे। राजस्व लेखाकार के यहां पत्रावली में मांग कायम कराई  
जावे। बाद तामिल तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

तहसीलदार बनेड़ा  
भीलवाड़ा (राज.)